प्रेस नोट

दिनांक 20.12.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा फर्जी एसटीएफ अधिकारी बनकर जालसाजी करते हुए सफेद धातु के सिक्कों से भरा कलश ले जाने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 06 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मारुति फ्रान्क्स कार , 02 अदद पुलिस आईडी कार्ड, सहित एक अदद कलश व 431 अदद सफेद धातु के सिक्के बरामद -

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 570/2025 धारा 204, 308(5), 318(4),319(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2)/61 (2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 06 शातिर अभियुक्तों 1. त्रिलोकी पाण्डेय पुत्र स्व0 महेश्वरी प्रसाद पाण्डेय, 2. आलोक शुक्ला उर्फ सुधीर पुत्र वासुदेव प्रसाद शुक्ला, 3. हरिओम दूबे पुत्र बिजेन्द्रनाथ दुबे, 4. प्रिंस मिश्रा पुत्र राजेन्द्र मिश्रा, 5. राहुल यादव उर्फ बब्लू पुत्र अनन्तराम, 6. मनोज मिश्रा पुत्र सरजू प्रसाद मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 कार UP 43 BL 5218, 02 अदद पुलिस आईडी कार्ड, सहित एक अदद कलश व 431 अदद सफेद धातु के सिक्के बरामद किये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.12.2025 को थाना कोतवाली देहात पर उपेन्द्र सिंह उर्फ उपेन्द्र बाबा पुत्र जयविशुन सिंह निवासी ग्राम परमेश्वरपुर थाना दावथ जिला रोहतास बिहार जो वर्तमान में बाबाकुटी ठकुरापुर मे महंत धर्मदास व संजयदास के साथ रहते हैं ने लिखित सूचना दी कि 17.12.2025 को बाबा कुटी ठकुरापुर में नये मन्दिर निर्माण के लिये जे0सी0बी0 मशीन से खुदाई का कार्य करवाया जा रहा था उसी दौरान खुदाई मे मिट्टी से लिपटा हुआ एक ठोस धातु का कलश मिला जिसमें 509 सफेद धातु के सिक्के थे । दिनांक 18.12.2025 को दोपहर समय करीब 02.00 बजे उक्त कलश मे रखे सिक्के को कलश सहित कुटी की इनोवा गाडी मे रखकर वादी उपेन्द्र सिंह बालपुर बाजार जा रहा था कि रास्ते में परसपुर मोड पर एक मारुति कार जिसमें 04 से 05 लोग आये तथा गाडी रुकवाकर बोले कि वे लोग एस0टी0एफ0 से हैं, और उनकी गाडी को अपने साथ बालपुर जाट इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प के पास ले जाकर पुलिस जांच के नाम पर धमकाते हुए सिक्कों से भरा कलश अपने गाड़ी में रखकर चले गये। प्रकरण के संबंध में वादी द्वारा प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के जल्द से जल्द सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 20.12.2025 को थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना को कारित करने वाले 06 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के कब्जे 01 कार UP43BL5218, 02 अदद पुलिस आईडी कार्ड, सहित एक अदद कलश व 431 अदद सफेद धातु के सिक्के बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ करने के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया कि ये सभी दोस्त हैं, दिनांक 17.12.25 को हरिओम दुबे जेसीबी चलवा रहा था, तभी सफेद धातु के सिक्के खुदाई में निकले थे, यह देखकर उसके मन में लालच आ गया। इसने यह बात अपने दोस्तों को बताई और सभी ने मिलकर सिक्कों को हड़पने की योजना बनाई और दिनांक 18.12.2025 की शाम के समय अभियुक्तों ने पूर्व नियोजित योजना के तहत साधु की गाड़ी रुकवाकर स्वयं को STF अधिकारी बताते हुए फर्जी एवं कूटरचित पहचान पत्र दिखाए तथा उन्हें डराते-धमकाते हुए इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प के पास ले गए। अभियुक्तों ने महंत व अन्य लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए और पुलिस कार्यवाही के नाम पर धमकाते हुए उनकी कार की डिग्गी में रखे सफेद धातु के सिक्कों

से भरे कलश को जबरन अपने कब्जे में ले लिया और अपनी कार संख्या UP43 BL 5218 से लेकर मौके से फरार हो गए। अभियुक्तों ने बताया कि आज रात्रि में उक्त सिक्कों को बेचने की योजना बनाकर आपस में एकत्र हुए थे, किंतु पुलिस द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. त्रिलोकी पाण्डेय पुत्र स्व0 महेश्वरी प्रसाद पाण्डेय 30 वर्ष नि0 बुधईपुरवा मोजा पूरेशिवा बख्तावर थाना को0 नगर गोण्डा।
02. आलोक शुक्ला उर्फ सुधीर पुत्र वासुदेव प्रसाद शुक्ला 37 वर्ष नि0 झंझरी ब्लाक बुधईपुरवा थाना को0 नगर गोण्डा।
03. हरिओम दूबे पुत्र बिजेन्द्रनाथ दुबे 23 वर्ष नि0 केशवजोत मौजा बालपुर जाट थाना को0 देहात गोण्डा।
04. प्रिंस मिश्रा पुत्र राजेन्द्र मिश्रा 28 वर्ष नि0 चाँदपुर टेपरा डेहरास मार्ग थाना को0 देहात गोण्डा।
05. राहुल यादव उर्फ बब्लू पुत्र अनन्तराम 32 वर्ष नि0 शांतिपुरम कालोनी झंझरी ब्लाक थाना को0 नगर गोण्डा।
06. मनोज मिश्रा पुत्र सरजू प्रसाद मिश्रा 38 वर्ष नि0 करनीपुर हाड़ीपुर थाना को0 नगर गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-570/2025 धारा 204, 308(5), 318(4),319(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 कार मारुति फ्रांक्स - UP 43 BL 5218
02. 01 अदद कलश
03. 431- सिक्के सफेद धातु के
03. 02 अदद पुलिस आईडी कार्ड

आपराधिक इतिहास अभियुक्त त्रिलोकी पाण्डेय -

01- मु0अ0स0-06/2018, धारा 323, 427, 504, 506 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
02- मु0अ0स0-08/2018, धारा 323, 504, 506 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक को0 देहात शमशेर बहादुर सिंह
02. उ0नि0 उपेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह
03. व0उ0नि0 कमल शंकर चतुर्वेदी
04. उ0नि0 विजय बहादुर यादव
05. उ0नि0 शैलेन्द्र यादव
06. उ0नि0 वीरपाल सिंह
07. हे.कां.कमलेश यादव
08. उ0नि0 संदीप कुमार
09. हे.कां. शौकत अली
10. उ0नि0 सौरभ कुमार
11. हे०का प्रमोद विश्वकर्मा
12. हे का0 रामदास राठौर
13. का० जागेश्वर गौंड

14. कां. कलीम अली जैदी
15. कां. संजय कुमार
16. कां0 मनोज कुमार यादव

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 20.12.2025

थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा जबरन वसूली करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 01 बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से वसूली के जेवरात बरामद-

कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-553/2025 धारा 308(5),351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों- 01. शिवा सिंह पुत्र राम पदारथ सिंह, 02.रामतेज गोस्वामी उर्फ राहुल बाबा पुत्र शिवशंकर गोस्वामी को गोण्डा–लखनऊ राज्य मार्ग पर पिपरी गाँव के पहले पुलिया के पास से गिरफ्तार कर बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा उनके कब्जे से 02 जोड़ी टप्स (पीली धातु), एक जोड़ी कान की बाली (पीली धातु), एक अदद लेडीज अंगूठी (पीली धातु) व 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 17.12.2025 को वादी सुरेश सिंह पुत्र रामधीरज सिंह निवासी ग्राम मुण्डेरवा थाना कोतवाली करनैलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 करनैलगंज में लिखित तहरीर दी गई कि उसकी पत्नी का देहान्त लगभग 08 वर्ष पूर्व हो चुका है। उसके 02 पुत्रियाँ एवं 01 पुत्र हैं। उसका पुत्र अमर सिंह कक्षा 11वीं का छात्र है। मेरे लड़कों को गांव के ही शिवा सिंह पुत्र रामपदारथ सिंह, अंकुश सिंह पुत्र राजबक्श सिंह, वैभव सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह, सहित अन्य दोस्तों द्वारा गांजा, सिगरेट व शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कराया गया तथा उससे पैसों की मांग की गई। पैसे न देने पर सभी आरोपियों द्वारा लगभग चार माह पूर्व वादी के पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई तथा कहा गया कि यदि नगद धनराशि नहीं लाया तो घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात लेकर आओ, अन्यथा जान से मारकर लाश गायब कर दी जाएगी। वादी के ड्यूटी पर चले जाने के दौरान उसका पुत्र अपनी जान बचाने के भय से घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात आरोपियों को दे आया, जिन्हें आरोपियों ने आपस में लेकर रख लिया। जब मेरे द्वारा जेवरात के सम्बन्ध में आरोपियों से पूछताछ की तो आरोपियों द्वारा मुझे एवं उसके पुत्र को पुनः जान से मारने की धमकी दी गई है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 करनैलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 19.12.2025 की शाम थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 आरोपी अभियुक्तों- 01. शिवा सिंह पुत्र राम पदारथ सिंह, 02.रामतेज गोस्वामी उर्फ राहुल बाबा पुत्र शिवशंकर गोस्वामी को गोण्डा–लखनऊ राज्य मार्ग पर पिपरी गाँव के पहले पुलिया के पास से गिरफ्तार कर बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा उनके कब्जे से 02 जोड़ी टप्स (पीली धातु), एक जोड़ी कान की बाली (पीली धातु), एक अदद लेडीज अंगूठी (पीली धातु) व 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय गोण्डा एवं बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड गोण्डा रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. शिवा सिंह पुत्र राम पदारथ सिंह नि0 उत्तर टोला बुद्धराज पुरवा, मौजा मुण्डेरवा, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।
02. रामतेज गोस्वामी उर्फ राहुल बाबा पुत्र शिवशंकर गोस्वामी नि0 शनिचरापुरवा, मौजा करुवा,थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-553/2025 धारा 308(5),351(3), 317(2) बीएनएस थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 02 जोड़ी टप्स (पीली धातु)
02. एक जोड़ी कान की बाली (पीली धातु)
03. एक अदद लेडीज अंगूठी (पीली धातु)
04. नगद धनराशि – ₹370/-
05. 02 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 शिवनाथ गुप्ता
02. उ0नि0 राजेश पाण्डेय
03. का0 जितेन्द्र कुमार (द्वितीय)
04. का0 प्रखर कुमार
05. का0 अंकित यादव
06. का0 राहुल कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक –20.12.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा आत्महत्या हेतु प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1000/2025 धारा 108 बीएनएस से संबंधित 02 नफर अभियुक्तगण 1. अजीत प्रताप सिंह पुत्र रामरंग सिंह निवासी बनकटा दिनारा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा हालपता गायत्रीपुरम थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा उम्र करीब 34 वर्ष व 2. सोनल सिंह पत्नी अजीत सिंह निवासिनी बनकटा दिनारा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा हालपता गायत्रीपुरम थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को विष्णुपुरी कालोनी सिविल लाईन से गिरफ्तार गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.12.2025 को वादी उद्धव श्रीवास्तव पुत्र मनोज कुमार श्रीवास्तव निवासी छेदीपुरवा स्टेशन रोड थाना को० नगर जिला गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसके चाचा का बेटा अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र स्व० अशोक कुमार श्रीवास्तव निवासी गायत्रीपुरम कालोनी गिर्द गोण्डा थाना कोतवाली नगर जिला गोण्डा अपने कमरे में पंखा से लटक कर फांसी लगा ली है, उसके द्वारा एक सुसाइड नोट लिखा गया है जिसमें सोनल सिंह व उसके पति अजीत सिंह द्वारा उसपर लिखाए गये फर्जी मुकदमे में फंसाने का जिक्र किया है। अभिषेक अपने ऊपर किये गये फर्जी अभियोग में फंसाये जाने और विपक्षीगण द्वारा लगातार पैसों की माँग से परेशान रहता था। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 19.12.2025 को विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त- 01. अजीत प्रताप सिंह पुत्र रामरंग सिंह व 02. सोनल सिंह पत्नी अजीत सिंह को विष्णुपुरी कालोनी सिविल लाईन से गिरफ्तार कर किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0 1000/2025 धारा 108 भा0 न्याय संहिता थाना कोतवाली नगर,गोण्डा

नाम पता अभियुक्तगण

01. अजीत प्रताप सिंह पुत्र रामरंग सिंह उम्र करीब 34 वर्ष
02. सोनल सिंह पत्नी अजीत सिंह निवासीगण बनकटा दिनारा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा हालपता गायत्रीपुरम थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा

गिरफ्तारी कर्ता टीम

01. उ0नि0 अजय कुमार तिवारी चौकी प्रभारी सिविल लाइन थाना को0 नगर
02. कां0 चन्द्रजीत चौहान
03. म0कां0 अनामिका पाण्डेय

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.12.2025, मॉनीटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के 01 अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास व अन्य 02 को 03-03 वर्ष कारावास एवं प्रत्येक को रुपये 26,000-26,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 23.05.2022 को थाना कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत वादिनी नेहा पुत्री श्यामकिशोर नि0 ग्राम बरांव थाना कटरा बाजार गोण्डा द्वारा सथाना कटरा बाजार पर सूचना दी गई कि दिनांक 06.05.2022 की रात करीब 08.30 बजे विपक्षीगण द्वारा जमीनी विवाद को लेकर गाली गलौज और मारपीट करने लगे जिसमें वादिनी के पिता, माँ व बहन को गंभीर चोटें आई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कटरा बाजार पर मु0अ0सं0- 162/2022 धारा 323, 504 भादवि पंजीकृत किया गया था, विवेचना के दौरान धारा 308 भादवि की बढोत्तरी करते हुए आरोपी अभियुक्तों 01. श्याम मनोहर 02. दिलीप व 03. राधेश्याम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री सर्वजीत गुप्ता द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 03.07.2022 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी महोदय श्री राजेश कुमार तृतीय द्वारा प्रभारी मॉनीटरिंग सेल निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक श्री अमित कुमार पाठक, कोर्ट मोर्हरिर हे0कां0 शिवपाल सिंह व थाना कटरा बाजार के पैरोकार हे0कां0 सुनील शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 20.12.2025 को दोषी अभियुक्तों – 01. श्याम मनोहर पुत्र रामकैलाश को 05 वर्ष कारावास व रुपये 26,000/- अर्थदण्ड एवं 02. दिलीप पुत्र श्याममनोहर 03. राधेश्याम पुत्र दीनदयाल को 03-03 वर्ष कारावास एवं प्रत्येक को रुपये 26,000-26,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-
01. श्याममनोहर पुत्र रामकैलाश
02. दिलीप पुत्र श्याममनोहर
03. राधेश्याम पुत्र दीनदयाल नि0 गण ग्राम बराँव थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-
01. मु0अ0सं0- 162/2022, धारा 323, 504, 308 भादवि थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।